162

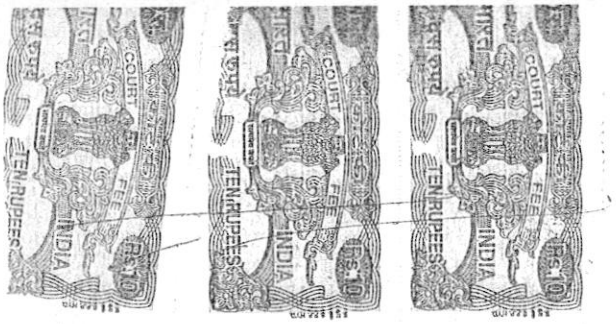

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 विविध विविध-9071-II-17

1. श्रीप्रकाश
2. ज्ञानप्रकाश
3. देवेन्द्र प्रकाश पुत्रगण जगदीश प्रसाद
   निवासीगण ग्राम– मिर्जापुर
   हाल निवासी सगरा,खुर्द तहसील
   हनुमना जिला– रीवा –––आवेदकगण

विरूद्ध

1. संगमलाल तनय धर्मनारायण मिश्रा
   ग्राम–टुडियार तहसील –कारॉव
   जिला– इलाहाबाद उ0प्र.मूल अनावेदक
2. राजकरण तनय पदमाक्ष प्रसाद पान्डेय
   ग्राम –सिगटी थाना व तहसील
   हनुमना जिला– रीवा म0प्र0
3. रामेश्वर प्रसाद तनय सुदर्शन प्रसाद
4. हिन्छलाल तनय रामगरीव मिश्रा
5. वेकुन्ठनाथ पुत्र प्रयागदास
   निवासीगण ग्राम– सगरा कलॉ
   तहसील– हनुमना जिला– रीवा

–––औपचारिक अनावेदकगण

6. मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–9 के अंतर्गत निर्मित राजस्व मण्डल की कार्य पद्वती एवं प्रक्रिया संबंधी नियमो के नियम–32 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 93–2/2017 में दिनांक 09/02/2017 को पारित एकपक्षीय आदेश को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 860/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09/11/2016 के विरूद्व आवेदकगण ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया है जिसका प्रकरण क्रमांक 3940–2/2016 है जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 22/11/2016 को आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन ग्रहाय करते हुये प्रकरण के अनावेदको को सूचना पत्र जारी किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाने के निर्देश दिये है। आवेदक के पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवायी हेतु दिनांक 25/04/2017 नियत है।

2. यह कि, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण में अनावेदक संगमलाल को पक्षकार बनाया गया है।

3. यह कि, अपर आयुक्त के जिस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया है उसी आदेश के विरूद्व अनावेदक–1 संगमलाल ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 04/01/2017 को प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 93–2/2017 पर पंजीबद्व किया गया।

4. यह कि, अनावेदक–1 संगमलाल के पुनरीक्षण आवेदन में आवेदकगण को अनावेदको के रूप में पक्षकार बनाया गया था पुनरीक्षण आवेदन के शीर्ष में यह टिप्पणी अंकित नहीं की गयी कि आवेदकगण मात्र औपचारिक पक्षकार है।

5. यह कि, अनावेदक–1 का पुनरीक्षण आवेदन ग्रहायता में सुनवायी में लिया गया एवं दिनांक 09/02/2017 को आवेदकगण को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से विवादित आदेश पारित किया गया है। जिसे निरस्त किये जाने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि, विवादित आदेश के अवलोकन से आवेदकगण को यह जानकारी हुयी कि अनावेदक–1 ने आवेदकगण को अनौपचारिक होना बताया जबकि आवेदकगण औपचारिक पक्षकार नहीं थे हितबद्व पक्षकार थे क्योंकि आवेदकगण का संहिता की धारा–57 (2) के अंतर्गत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 08/11/1989 से स्वत्व मानते हुये भूमि स्वामी होना विनिश्चित किया जा चुका था एवं आदेश दिनांक 08/11/1989 के पालन में आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित किया गया था।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9071–दो/17 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
27 –10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–9 के अंतर्गत निर्मित राजस्व मण्डल की कार्य पद्वती एवं प्रकिया संबंधी नियमों के नियम–32 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 93–दो/17 में पारित आदेश दिनांक 9.2.17 में पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त के जिस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है उसी आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक–1 संगमलाल ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन दिनांक 4.1.17 को प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 93–दो/17 पर पंजीबद्व किया गया है। उनका तर्क है कि दिनांक 9.2.17 को आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से विवादित आदेश पारित किया गया हैं जिसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अनावेदक कमांक–1 ने आवेदकगण को अनौपचारिक होना बताया जबकि आवेदकगण औपचारिक पक्षकार नहीं थे हितबद्व पक्षकार थे क्यों कि आवेदकगण का संहिता की धारा–57 (2) के अंतर्गत प्रकरण में पारित आदेश	

दिनांक 8.11.89 से स्वत्व मानते हुये भूमि स्वामी होना विनिश्चित किया जा चुका था एवं आदेश दिनांक 8.11.89 के पालन में आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया था। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाय एवं दिनांक 9.2.17 को आवेदकगणों के हिता के विरूद्व आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3–अनावेदक केवियेटकर्ता अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमियों को डिप्टी कमिश्नर पूर्वी रीवा राज्य रीवा कैम्प मऊगंज के प्रकरण कमांक 1328/1938 आदेश दिनांक 8.10.1938 को उपरोक्त भूमियां गैवीनाथ ब्राहम्ण को मालकाना हक में प्राप्त हुई थी। तहसीलदार तहसील हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.7.09 द्वारा अभिलेख अद्यतन किया गया था। आवेदक विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.2.17 का विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– प्रकरण उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्व आवेदक सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन बलहीन होने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य